



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/SER-2253/MCOL/14/2025-RU-IV

दिनांक: 28.01.2026

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.),

दरभंगा हाउस, कचेरी रोड,

रांची, झारखंड 834029

ई-मेल: cmd.ccl.cil@coalindia.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के श्री जोहन मांझी की विधवा श्रीमती फुलमनी देवी को अनुकंपा के आधार पर सीसीएल लिमिटेड में नौकरी देने तथा वित्तीय सहायता देने के संबंध में - श्री बृज किशोर राम, अध्यक्ष, All India Scheduled Castes/Tribes & Backward Classes Employees' Co-ordination Council, ग्राम+पोस्ट-सयाल, जिला-रामगढ़ का दिनांक 15.04.2025 का पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

28.01.2026

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री बृज किशोर राम,

अध्यक्ष, All India Scheduled Castes/Tribes & Backward

Classes Employees' Co-ordination Council,

ग्राम+पोस्ट-सयाल, जिला-रामगढ़ - 834001,

Mobile No: 7301355880

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-2253/MCOL/14/2025-RU-IV

अभ्यावेदक श्री बृज किशोर राम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स/ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, अनुसूचित जनजाति के दिवंगत कर्मचारी श्री जोहन मांझी की विधवा श्रीमती फुलमनी देवी को सीसीएल लिमिटेड में अनुकंपा नियुक्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि तथा समय : 24.12.2025 को अपराह्न 02:20 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 अनुसार।

श्री बृज किशोर राम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स/ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, रामगढ़ द्वारा दिनांक 15.04.2025 को एक पत्र प्रेषित किया गया, जो आयोग में संदर्भ स्वरूप प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के माध्यम से श्री बृज किशोर राम ने अनुसूचित जनजाति के दिवंगत कर्मचारी श्री जोहन मांझी की विधवा श्रीमती फुलमनी देवी को सीसीएल लिमिटेड में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आयोग का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाए जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची (झारखंड) को दिनांक 13.05.2024 को नोटिस जारी किया गया था।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में सीसीएल से प्राप्त उत्तर (दिनांक 21.08.2025) को आयोग के पत्र दिनांक 16.10.2025 के माध्यम से सूचनार्थ अभ्यावेदक को अग्रेषित किया गया। इसके उपरांत, दिनांक 25.11.2025 को शिकायतकर्ता से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उक्त उत्तर के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की है।

4. आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ सुनवाई दिनांक 24.12.2025 को निर्धारित की गई। तदनुसार अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सिटिंग नोटिस दिनांक 19.12.2025 जारी किया गया। अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गई।

5. सिटिंग के दिन, सीसीएल के निदेशक (मानव संसाधन), महाप्रबंधक (मानव संसाधन-औद्योगिक संबंध), निदेशक (मानव संसाधन), तथा प्रबंधक (मानव संसाधन) आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त, श्री बृज

आशा लकड़ा

राम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स/ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, भी उपस्थित रहे।

6. सुनवाई के दौरान सीसीएल के अधिकारियों ने अवगत कराया कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित समय-सीमा के उपरांत तथा मौद्रिक लाभ/मुआवजे की मांग लगभग 11 वर्षों के अत्यधिक विलंब के बाद की गई, जबकि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य तत्काल राहत प्रदान करना होता है, जो इतने लंबे अंतराल के पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है; साथ ही श्रीमती फुलमनी देवी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, प्रकरण से संबंधित पूर्व याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विलंब के आधार पर खारिज की जा चुकी है तथा सीसीएल द्वारा इस संबंध में निदेशक (कार्मिक) स्तर से कारणयुक्त (Speaking Order) आदेश भी पारित किया जा चुका है।

7. आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

- i. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रकरण में वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार की अतिरिक्त अथवा अग्रिम कार्रवाई आयोग द्वारा अपेक्षित नहीं है। अतः मामले को आयोग में बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
20/01/2026

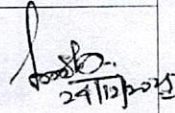
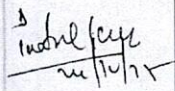
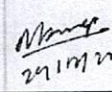
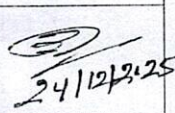
(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Sitting to be held on **24.12.2025** at **P.M** - अनुसूचित जनजाति के श्री जोहन मांझी की विधवा श्रीमती फुलमनी देवी को अनुकंपा के आधार पर सीसीएल लिमिटेड में नौकरी देने तथा वित्तीय सहायता देने के संबंध में श्री बृज किशोर राम, अध्यक्ष, All India Scheduled Castes/Tribes & Backward Classes Employees' Co-ordination Council, ग्रामसयाल-पोस्ट+, जिला रामगढ़ का दिनांक-15.04.2025 का पत्र।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I National Commission for Scheduled Tribes			
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II Officers from O/o Chairman cum Managing Director, CCL, Ranchi			
1.	H.N. MISHRA	Director (HR) CCL	 24/12/2025
2.	PRAFUL KUMAR.	GENERAL MANAGER HR-IR CCL	 24/12/25
3.	Manish Korgani	Manager (HR)	 24/12/25
4.			
5.			
6.			
III Petitioners			
1.	बृज किशोर राम अग्रवाल	ADMINISTRATIVE CELL CCL	 24/12/25
2.			